भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3398
05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

सशस्त्र सेनाओं के कार्य-निष्पादन और दक्षता की संपरीक्षा

3398. **श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री प्रतावराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के "कार्य-निष्पादन और दक्षता" की संपरीक्षा करने के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(ग) उक्त संपरीक्षा के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और यह निकट भविष्य में किस प्रकार लाभकारी होने वाला है;
(घ) समिति द्वारा अपने मंत्रालय के कामकाज में आंतरिक निरीक्षण और प्रबंधन कार्य ढांचे को मजबूत करने में समग्र सुधार के लिए क्या सलाह/सुझाव दिए गए हैं;
(ङ) क्या देश अपने सैन्य हार्डवेयर के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है जिससे कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके और उसकी सामरिक क्षमता में सामंजस्य स्थापित किया जा सके; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) जी हां।

(ख) इस समिति में अध्यक्ष के रूप में रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के उपप्रमुख, सचिव (रक्षा) वित्त/ वित्त सलाहकार (डीएस), एकीकृत स्टाफ समिति के प्रमुख (सीआईएससी), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), महानिदेशक (अर्जन) और रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। निष्पादन/ दक्षता लेखा परीक्षा विश्वसनीय, वास्तविक और निष्पक्ष सूचना उपलब्ध कराकर, आयोजना, क्रियान्वयन, विशेष रूप से परिणामों/निष्कर्षों और सामान्य रूप से व्यय/ प्रबंधन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रणालियों में कमियों को रेखांकित करके उच्चस्तरीय प्रबंधन को बहुमूल्य इनपुट प्रदान करने पर लक्षित होगी।

(ग) और (घ) सीजीडीए को निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा करने का अधिदेश 14 जुलाई, 2022 को दिया गया था। लेखा परीक्षा करने के लिए अभिज्ञात विस्तृत क्षेत्रों में रक्षा पूंजीगत खरीद, प्रबंधन, संभार-तंत्र, इन्वेंट्री स्तर, प्लेटफॉर्मों/परिसंपत्तियों का रखरखाव, अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टीकुलर्स (एएचएसपी) इत्यादि की भूमिका और निष्पादन शामिल हैं। शीर्ष समिति निष्पादन और दक्षता लेखा-परीक्षा के लिए किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र की सिफारिश भी कर सकती है। यह संगठन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का अनिवार्य वातावरण बनाकर और सतत सुधार के माध्यम से कार्य को प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करके शासन में अर्थव्यवस्था, प्रभावकारिता और दक्षता को रचनात्मक रूप से बढ़ावा देगा।

(ड.) और (च) रक्षा सैन्य बलों के आधुनिकीकरण में रक्षा क्षमताओं का उन्नयन करने और संवर्धन करने के लिए नए आधुनिकतम प्लेटफॉर्मों, प्रौद्योगिकियों और शस्त्र प्रणालियों का अर्जन शामिल है और यह सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण परिदृश्य को अनुकूल बनाने के लिए सशस्त्र बलों को तैयारी की स्थिति में रखने के लिए जोखिम अवधारणा, संक्रियात्मक आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है कि किसी संक्रियात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सशस्त्र बल पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों जिसे नए उपस्करों को शामिल करके तथा क्षमताओं के प्रौद्योगिकीय उन्नयन से प्राप्त किया जा सकता है।

सशस्त्र बलों की उपस्कर आवश्यकताओं की योजना बनाई जाती है और एक विस्तृत प्रक्रिया द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता है जिसमें दस वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी), पंचवर्षीय रक्षा क्षमता अर्जन योजना (डीसीएपी) और वार्षिक अर्जन योजना (एएपी) तथा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अर्जन परिषद द्वारा विचार-विमर्श शामिल हैं।

सरकार देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों की क्षमताओं का उपयोग करके रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के उच्च स्तरों को हासिल करने के लिए कई पहलों पर कार्य कर रही है। इन उपायों में भारतीय विक्रेताओं में अधिप्राप्ति को प्राथमिकता और वरीयता देना तथा लाइसेंसिंग व्यवस्था का उदारीकरण शामिल है।

रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी)-2020 रक्षा उपस्करों, प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों और उप-प्रणालियों के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में घोषित रक्षा सुधार कार्यों के सिद्धांतों से संचालित होती है। डीएपी 2020 खरीदो भारतीय (अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित) (आईडीडीएम) को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत में इन हथियारों/ प्लेटफॉर्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के

लिए, आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु हथियारों/ प्लेटफॉर्मों की सूचियां अधिसूचित की गई है। खरीदो (वैश्विक-भारत में विनिर्माण) की एक नई श्रेणी शामिल की गई है ताकि कलपुर्जों का प्रारंभ से ही स्वदेशीकरण किया जा सके। यह श्रेणी विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएमएस) को भारत में उनकी सहायक कम्पनी के माध्यम से 'विनिर्माण/ अनुरक्षण संस्थाओं' की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय विक्रेता की परिभाषा को भी नई एफडीआई नीति के अनुकूल बनाया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र सहित भारतीय औद्योगिक पारि-प्रणाली की बृहत्तर भागीदारी द्वारा आत्म-निर्भरता के उद्देश्य के साथ मेक II और मेक III श्रेणियों को लागू किया है। उद्योग द्वारा वित्तपोषित विकास परियोजनाओं के लिए सरलीकृत मेक-II प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है। एमएसएमई और छोटे शिपयार्डों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रतिवर्ष के आर्डरों पर आरक्षण प्रदान किए गए हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में सामरिक भागीदारी संबंधी नीति भी प्रख्यापित की है ताकि प्रमुख रक्षा प्लेटफार्म और उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की बृहत्तर भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

******